संख्या- 31/2026/ 49-3002/2/2021-I/1388315/2026

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 08 जुलाई, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026- 27 में भण्डारण योजनान्तर्गत प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समितियों (पैक्स) के गोदामों का सुदृढ़ीकरण व मरम्मत हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-I/665344/2026/लेखा-अ/2026-27, दिनांक 02 जुलाई, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय- व्ययक में '' भण्डारण योजनान्तर्गत प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समितियों (पैक्स) के गोदामों का सुदृढ़ीकरण व मरम्मत '' हेतु प्राविधानित धनराशि रूपये 5000.00 लाख के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति निर्गत कराने का अनुरोध किया गया है ।

2- अवगत कराना है कि प्रकरण में सक्षम स्तर से सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु सहकारिता अनुभाग-3 के पत्र संख्या- I/ 1047200/2025, दिनांक 05.08.2025 द्वारा जारी दिशा- निर्देश को ही वित्तीय वर्ष 2026-27 के भण्डारण योजनान्तर्गत प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (पैक्स) के गोदामों का सुदृढ़ीकरण व मरम्मत होतु यथावत कार्य योजना/ दिशा- निर्देश के रूप में अनुमोदित किया गया है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026- 27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-18 के अधीन लेखाशीर्षक-2425-सहकारिता, 108-अन्य सहकारी समितियों को सहायता, 03-भण्डारण योजनान्तर्गत प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समितियों (पैक्स) के गोदामों का सुदृढ़ीकरण व मरम्मत, 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि रूपये 5000.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त की धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

रूपये 1250.00 लाख (रूपये बारह करोड़ पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की अधोलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) उक्त योजना के अन्तर्गत आंवटित की गयी धनराशि का व्यय मरम्मत/ सुदृढ़ीकरण पर ही व्यय किया जायेगा, अन्य किसी भी मद में धनराशि का व्यय नहीं किया जायेगा।

(2) उक्त योजनान्तर्गत गोदाम सुदृढ़ीकरण एवं मरम्मत कार्य में व्यय हुई धनराशि के अभिलेख समितिवार जनपदीय कार्यालय में रखे जायेंगे।

(3) धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान यह सुनिश्चित किया जायेगा कि धनराशि का व्यय योजना हेतु निर्धारित दिशा निर्देश/गाइडलाईन्स के अनुरूप है तथा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत है।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत आहरण / व्यय , स्वीकृत की गयी धनराशि के सापेक्ष निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने तथा निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को होगा।

(5) धनराशि के आहरण के संबंध में मितव्ययता संबंधी समय -समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता विभाग, उ0प्र0 लखनऊ द्वाराद्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अर्थात् किसी भी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

(7) धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने/ गाइडलाइन्स में निहित व्यवस्थानुसार समायोजन/व्यय करने का दायित्व आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता विभाग, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

(9) स्वीकृत धनराशि में निर्माण कार्य सम्मिलित होने पर, उक्त पर व्यय निर्माण संबंधी संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार/मानकों के अधीन किया जायेगा तथा धनराशि आवश्यकतानुसार चरणों में उपलब्ध करायी जायेगी।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि से वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय अनिवार्य रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के शासनादेश संख्या- 57/18-2-2024-97(ल0उ0)/ 2016, दिनांक 26.11.2024 के अनुसार जेम पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए।

(11) प्रश्नगत योजना के संबंध में गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में जारी दिशा-निर्देश संबंधी शासनादेश संख्या-I/1047200/2025, दिनांक 05 अगस्त, 2025 के प्राविधानों का शत-प्रतिशत यथावत अनुपालन वित्तीय वर्ष 2026-27 में भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(13) आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता विभाग, उ०प्र० लखनऊ द्वारा स्वीकृत धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिस मद हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है तथा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित अन्य शर्तों/उपबन्धों का समावेश नियमानुसार स्वस्तर से कर लिया जाये।
(14) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1,उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस- 2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 व अन्य संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3 - इस संबंध में होने वाला व्यय धनराशि रूपये 1250.00 लाख (रूपये बारह करोड़ पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या-18 के अधीन लेखाशीर्षक 2425001080300 भण्डारण योजनान्तर्गत प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समितियों (पैक्स) के गोदामों का सुदृढ़ीकरण व मरम्मत मानक मद - 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ/ प्रयागराज।
3) निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री जी (स्वतंत्र प्रभार) सहकारिता विभाग, उ०प्र०।
4) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उ०प्र० शासन।
5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
6) अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक(बैंकिंग), सहकारिता विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7) वित्त नियंत्रक, सहकारिता उ0प्र0, लखनऊ।
8) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 कोआपरेटिव यूनियन लि0/उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ।
9) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन ।
10) वेब मास्टर, कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0, लखनऊ।
11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।